ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI TITLED No: UPBIL04292,
RNI REG.No.:UPBIL/2014/66218, SOCI.REG. No. 561/2013-14
Vol.-5, No.-I, PP-79-82, YEAR JUNE 2016

भारत में महिलाओ की स्थिति और उससे सम्बन्धित समाजिक विधानो का क्रियान्वयन एवं प्रभाव

❑ डॉ0 किशन यादव
❑❑ प्रीति सिंह

भारत में महिलाओं की परम्परागत स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा अनेकानेक सामाजिक विधानों का निर्माण किया गया है। इससे उनकी स्थिति में कुछ सुधार तो अव य हुआ है किन्तु इसे संतोशजनक नहीं कहा जा सकता। प्रस्तुत लेख इन सामाजिक विधानों के क्रियान्वयन एवं प्रभाव के मूल्यांकन का एक प्रयास है।

महिला और पुरूश सृश्टि के निर्माता एक दूसरे के पूरक तथा समाज के आधार हैं, यह तथ्य स्थानों, दे ाों और समाज के लिए समान रूप से सत्य है। किसी दे ा और समाज का सर्वागीण विकास दोनों के संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। कोई भी राश्ट्र महिलाओं की पचास फीसदी आबादी को छोड़कर प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास साक्षी है कि जहां महिलाओं की उपेक्षा की गई है, वहां समाज का विकास अवरूद्ध हुआ है।

भारत के अतीत में व्यवस्था भले ही पुरूश प्रधान रही हो, किन्तु स्त्रियों के भाासिका, सेनानी, मंत्राणी, राज्य सलाहकार, गुप्तचर, पुरोहित एवं समाज नेत्री होने के अनेकों प्रमाण मिलते है। ऋगवेद में ब्रह्म–ज्ञानी पुरूशों के साथ ब्रह्म–ज्ञानी महिलाओं का भी नाम आया है। महिलाओं को गृहिणी अर्धागिनी कहकर संबोधित किया जाता था। उनका पालन–पोशण और ि ाक्षा पुरूशों के समान ही थी। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति थी। पिता की सम्पत्ति में पुत्री का भी अधिकार था। रामायण महाभारत काल तक के अनेकों प्रमाण न केवल स्त्री और पुरूशों की समानता बल्कि राजनीति में उनकी अग्रणीय भूमिका के मिलते हैं। एक कथानक के अनुसार पांडवों ने जब अ वमेघ यज्ञ किया, तो हिमालय स्थित एक स्त्री राज्य की रानी प्रमिला ने घोड़ा पकड़कर अर्जुन को युद्ध नीति का सहारा लेकर प्रमिला से विवाह करना पड़ा। इसी प्रकार कैकेयी राजा द ारथ की ऐसी विदुशी मंत्राणी थी, जो पति के साथ रणक्षेत्र में भाग लेती थी, किन्तु बाद में उत्तर वैदिक युग वि ोश तौर से मध्य युग में स्त्रियां पुरूशों के अधीन हो गई उनका सार्वजनिक जीवन में प्रवेश बंद कर घर की चार दिवारी में जकड़ दिया गया। पति परमे वर, पतिव्रत धर्म का पालन, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी अनेक कुरीतियों के कारण स्त्रियों की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी समाप्त प्रायः कर दी गई।[1]

अंग्रेजी भाासन काल में यद्यपि कि अंग्रेज भारत के आंतरिक मामलों में सुधार के पक्षधर नहीं थे किन्तु समाज सुधार के भारतीय आन्दोलनों और व्यक्तिगत प्रयासों के कारण वि ोश तौर से राजा राममोहन राय, ई वरचन्द्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी के प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्रिटि ा काल में स्त्रियों की स्थिति के सुधार में आ ाातीत सफलता प्राप्त हुई। इन्हीं के प्रयत्नों से स्त्रियों से संबंधित अनेक कुरीतियों, अंधवि वासों और कर्मकाण्डों का अंत कर कानूनी प्रतिबन्ध लगे और सामाजिक विधानों का सृजन किया गया। वैदिक परंपरा की अच्छाइयों को पुनर्जीवित कर समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्त्री ि ाक्षा पर

❑ विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, बुन्देलखण्ड कॉलेज, झांसी, (उ0प्र0) भारत
❑❑ शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान, बुन्देलखण्ड कॉलेज, झांसी, (उ0प्र0) भारत

पुर्नविवाह अधिनियम 1856, वि ोश विवाह अधिनियम 1872–1923, मुस्लिम भारीयत अधिनिमय 1936 तथा मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनिमय 1939 पारित हो सकें। इसी पृश्टभूमि में स्वाधीनता के बाद स्वाधीन सरकार से महिलाओं की द ाा सुधारने और उनके संबंधित विधानों की बड़ी अपेक्षांए थी। इसके लिए सरकार ने ब्रिटि ा काल में भुरू किए गए स्त्रियों से संबंधित सामाजिक विधानों में आव यक सं ोधन एवं नए विधानों मे ंजो तत्परता दिखाई है वह निःसंदेह सही दि ाा का सही प्रयत्न हैं इसके लिए सरकार द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए विवाह संबंधी निर्योग्यताओं को हटाने और परंपरागत सामाजिक ढांचे से बदलाव करने हेतु जहां भारतीय संविधान में प्रत्येक क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक में महिला–पुरूश को समान माना गया है, वहीं राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुनि ित करने के लिए स्थानीय भाासन एवं पंचायती राज व्यवस्था में संविधान के 73वें सं ोधन के द्वारा महिलाओं को 33 प्रति ात का प्रतिनिधित्व आरक्षित किया गया है। बिहार और म0प्र0 सहित कुछ राज्यों में तो यह प्रतिनिधित्व पचास प्रति ात तक करने की घोशणा की जा चुकी है।[2] यद्यपि कि दे ा की संसद एवं विधानसभाओं में 33 प्रति ात के आरक्षण का विधेयक लंबित है।

विधानों में हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम, मुस्लिम भारीयत अधिनियम, वि ोश विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सती प्रथा पर महिमा मंडल (प्रतिशेध) अधिनियम, हिन्दू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम, हिन्दू नाबालिक तथा संरक्षता अधिनियम, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम मौलिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का अ ालील चित्रण (निवारण) अधिनियम, पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम इत्यादि के द्वारा सरकार के ब्रिटि ाकाल में भुरू किए गए स्त्रियों से संबंधित सामाजिक विधानों मं आव यक सं ोधन एवं नए विधानों की रचना तथा इनके क्रियान्वयन हेतु वर्श 1992 में गठित राश्ट्रीय महिला आयोग और 2001 की महिला स ाक्तिकरण की नीति में जो तत्परता दिखाई है वह निःसंदेह सही दि ाा का सही प्रयत्न माना जा सकता है।

राजनीति में वैधानिक दृश्टि से अपने अधिकारों के संघर्श के लिए महिलाएं 20वीं भाताब्दी के प्रथम द ाक में ही सही अर्थों में प्रवे ा पा सकीं।महान, आयरि ा महिला श्रीमती एनीबेसेन्ट ने भारत को अपना घर और स्वयं को भारतीय महिला कहकर सन् 1913 में राजनैतिक क्षेत्र में एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में प्रवे ा कर 1917 में कांग्रेस के स्वदे ाी आन्दोलन के लिए महिलाओं को प्रेरित किया तथा स्वयं कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। श्रीमती एनीबेसेन्ट की ही अध्यक्षता में पुरूशों की भांति महिलाओं को भी मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। 18 सितम्बर, 1917 को श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में 14 प्रमुख महिलाओं का ि ाश्ट मण्डल श्री मांटेस्क्यू व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वाइसराय जेम्सफार्ड से मिला। इसके परिणामस्वरूप यद्यपि महिलाओं की सामाजिक निर्योग्यता की आड़ में ब्रिटि ा पालिर्यामेंट ने भारतीय महिलाओं को मत देने का अधिकार तो नहीं दिया, किन्तु प्रांतीय विधानसभाओं को एक अधिकार दें दिया कि वे इस मामले पर विचार कर सकती है। इसके बाद 1926 में सभी प्रान्तों ने महिलाओं को पुरूशों के बराबर मत देने का अधिकार दिया। अप्रैल, 1926 में भारत सरकार ने एक कदम और आगे उठाकर महिलाओं को प्रांतीय

विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्रदान कर दिया। सन् 1930 में महात्मा गाँधी ने खुले भाब्दों में महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने को आमंत्रित किया, तो हजारों की संख्या में स्त्रियों ने समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में हजारों स्त्रियां जेल गई। भारत छोड़ों आन्दोलन 1942 में भी हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस प्रकार आधुनिक भारत में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी का युग आजादी के आंदोलन से ही भ्रारू होता है।[3] जून 1937 में जब 6 प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमण्डल बना, तो बड़ी संख्याओं में महिलायें विधानसभा के लिए चुनी गई। कुल 80 स्त्रियां विधानसभा में चुनकर आई। यह संख्या उस समय वि व में तीसरे स्थान की थी। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी, राजकुमारी अमृत कौर, सु ीला नैय्यर, सरोजिनी नायडू, लक्ष्मी मेनन, तारके वरी सिन्हा, भीला कौल, कुमुद बेन जो ी, मोहसिना किदवई इत्यादि–इत्यादि अनेक नाम हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री के रूप में भ्ाासन किया। सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, भ्ारदा मुकर्जी, ज्योति वैंकटाचलम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जैसी महिलाओं ने राज्यपाल पद तथा सुचेता कृपलानी, नंदनी सतपंथी, भा ि ा काकोड़कर, जयललिता, मायावती, राबड़ी देवी और उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद संभाला है। वर्तमान में श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस की अध्यक्ष तथा श्रीमती प्रतिभा पाटिल दे ा के सर्वोच्च राश्ट्रपति पद पर आसीन हुई।[4]

जहां तक महिलाओं से संबंधित विधानों के क्रियान्वयन एवं प्रभाव का प्र न है, एम0एन0 श्रीनिवास का यह कथन सही प्रतीत होता है कि भारत में महिलाओं के बारे में सामान्यीकरण असंभव सा है।[5] इसका कारण विभिन्न क्षेत्रों, नगरों और गांवों, विभिन्न वर्गों, धर्मों और जाति समूहों की बहुत अधिक भिन्नता है।

इसके अतिरिक्त दे ा में कथनी–करनी, सिद्धान्त–व्यवहार, नियम–परंपरा का अंतर ऐसा आधा–अधूरा चित्र प्रस्तुत करता है, जिसका सकारात्मक या नकारात्मक पक्ष भी स्पश्ट नहीं हो पाता।दरअसल, हमारे यहां वैदिक युग के बाद लिंगगत् पूर्वाग्रह का पक्ष स्थायी संरचनात्मक आधार प्राप्त कर संस्थागत रूप से कुरीतियां जुड़ती गई हैं। विभिन्न सामाजिक विधानों के माध्यम से स्त्री–पुरूश की समानता और जन जागृति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में राजनैतिक इच्छा भाक्ति की कमी और जन सहयोग की सकारात्मक भूमिका का अभाव रहा है। इसी के परिणामास्वरूप महिलाओं के संसद एवं विधानसभाओं में 33 प्रति ात के प्रतिनिधित्व का विधेयक वर्शों से लम्बित है। सामाजिक विधानों के माध्यम से महिला स ाक्तीकरण के प्रयासों से यद्यपि अंतर तो आया है, महिलाओं की स्थिति मे ंसुधार भी हुआ है, लेकिन अधिकां ातः यह नगरों तक ही सीमित है। दूरदराज की ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं की अि ाक्षा, अज्ञानता, और आर्थिक निर्भरता के कारण उन्हें जो भी लाभ हुआ है, वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। पंचायती राज व्यवस्था के आरक्षण का लाभ भी पुरूश ही ''पंचपति'' और ''सरपंच पति'' के रूप में भोग रहे हैं। भाहरों में भी ''पार्शद पति'' के रूप में ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं। दूसरी ओर नित्य प्रति दूरद ान और समाचार पत्रों में दहेज, पिता की संपत्ति में पुत्री के अधिकार और घरेलू हिंसा जैसे अधिनियमों के नकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पति–पत्नी के बीच पारस्परिक सामंजस्य न होने की समस्या का परिणाम वर पक्ष के माता–पिता, भाई–बहन यहां तक कि 70 और 80 वर्श तक केदादा–दादी और अन्य संबंधितों को दहेज–एक्ट लगा देने के कारण भुगतना पड़ रहा है। पिता की संपत्ति में पुत्री के अधिकार का खामियाजा भी पति और पत्नी दोनों ही पक्ष के परिवार वालों को उठाना पड़ रहा है। सामाजिक पक्ष के प्रबल होने के कारण दहेज दण्डनीय अपराध है, का लाभ तो वधू पक्ष को नहीं मिल पाता। इसके विपरीत लड़की

रूपी धन रा ि ा को तो पिता की संपत्ति में से ले ही जाती है फिर स्वयं ससुराल पक्ष के दबाव में पिता की संपत्ति में अधिकार का मुकदमा दायर कर अपना हक मांगने लगती है। इसका स्वभाविक परिणाम पारिवारिक मनमुटाव, तनाव और पारिवारिक हिंसा के रूप में निकल रहा है। घरेलू हिंसा अधिनियम लागू होने के बाद छोटी–छोटी बातों को लेकर पति–पत्नी, मानव अधिकार, महिला आयोग और न्यायालयों में अर्जियां दे रहे है।

निष्कर्ष :– अंत में भारत में महिला संबंधी विधानों के माध्यम से परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष की विसंगतियों को दूर करने, महिलाओं और पुरूशों के बीच समानता लाने,राश्ट्रीय विकास के लक्ष्यों में महिलाओं की भागदारी सुनि ि चत करके महिला स ाक्तीकरण की पहल तो हुई है। नि ि चत ही इसके समानता, स्वतंत्रता और उदारता सामाजिक मूल्यों तथा जनतांत्रिक प्रणाली का लाभ भी भारतीय महिलाओं को कुछ सीमा तक मिलने के कारण उनकी सामजिक स्थिति पहले की तुलना में सुधरी है। वे पुरूशों के साथ हर क्षेत्र में सहयोग और प्रतिस्पर्धा की अंतः क्रिया के द्वारा उन्नति की ओर अग्रसर है, लेकिन उनकी स्थिति पुरूशों जैसी होनी बहुत दूर की कौड़ी है। वस्तु स्थिति यह है कि लिंगगत पूर्वाग्रह से बने परम्परागत सामाजिक ढांचे की प्रभाव ाीलता के कारण भारतीय महिलाओं के उत्थान के प्रयास संक्रमण की स्थिति मे ही हैं। इसके लिए महिलाओं से संबंधित सामाजिक विधानों की विसंगतियों ओर क्रियान्वयन के दोशों को दूर कर, प्रबल राजनैतिक इच्छा भाक्ति, जनसहयोग, प्र ाासनिक तालमेल, संचार के साधनों, स्वयंसेवी संगठनों के संयुक्त सकारात्मक प्रयासों के साथ प्रांतीय और राश्ट्रीय महिला आयोगों, महिला संगठनों और स्वयं महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा, तभी महिला स ाक्तीकरण की नीति और राश्ट्रीय विकास के घोशित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भदौरिया, एस.एस., 'भारतीय समाज में महिलाएं', भारतीय समाज म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल, म.प्र.; 2009, पृ. 339।
2. नई दुनियां, समाचार पत्र, ग्वालियर, दिनांक 30 जून, 2008।
3. भदौरिया एस.एस., 'पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी', भाोध परियोजना, 2008, पृ0 06।
4. भदौरिया एम.एस. पूर्वोक्त, पृ. 7।
5. श्रीनिवास एम.एन., 'द चेंजिंग पोजीसन ऑफ इण्डियन वुमेन, पृ. 7।

*****